तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6098/2006/भरतपुर श्रीमती गीता बनाम तुलसीराम	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित–

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री शौकिन्द लाल गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 12.01.2023

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, डीग द्वारा प्रकरण संख्या–05/2006 बउनवानी तुरसीराम व अन्य बनाम गीता व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30–08–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी, डीग के न्यायालय में प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 489/1990 बउनवानी गीतादेवी व अन्य बनाम तुरसीराम दिनांक 27–7–1991 को डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपीलीय में राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–4–1999 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर दिया तथा इसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील भी दिनांक 4–1–2006 से खारिज कर दी। अतः विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में निर्णय व डिक्री दिनांक 27–7–1991 से पूर्व की स्थिति पुनः स्थापित की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को तलब किया। विपक्षी प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए धारा 144सीपीसी के प्रार्थनापत्र को खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर आदेश दिनांक 30–8–2006 से विपक्षी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज कर दिया तथा इसी दिनांक को अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144सीपीसी को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–7–1991 की अनुपालना में जो इन्द्राजात राजस्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6098/2006/भरतपुर श्रीमती गीता बनाम तुलसीराम	नम्बर व तारीख

रिकार्ड में हुए है, वे कलमजन करते हुए राजस्व रिकार्ड में दिनांक 27–7–1991 से पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश पारित किये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि नियमित वाद की अपील जब अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो धारा 144 सीपीसी का प्रार्थनापत्र किसी भी रूप में चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को एक लाईन में खारिज कर दिया जाने से उक्त आदेश नॉन–स्पीकिंग आदेश होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2006 अपास्त किया जावे और प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय से अपास्त कर दिया और मण्डल हाजा द्वारा भी अपील खारिज कर दी तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की अनुपालना में राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राजात हुए उसके स्थान पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–7–1991से पूर्व की स्थिति स्थापित किये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश से स्वीकार किया गया है और प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 को भी विधिसम्मत् आदेश से खारिज किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी, डीग के न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 489/1990 बउनवानी गीतादेवी व अन्य बनाम तुरसीराम दिनांक 27–7–1991 को डिक्री किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–4–1999 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6098/2006/भरतपुर श्रीमती गीता बनाम तुलसीराम	नम्बर व तारीख

पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील प्रस्तुत हुई जिसे मण्डल द्वारा दिनांक 4–1–2006 से खारिज कर दी। जब विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया, एवं इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील भी मण्डल हाजा द्वारा खारिज कर दी गयी तो प्रकरण में निहित विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 27–7–1991 से पूर्व की स्थिति पुनः स्थापित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की प्रारम्भिक आपत्ति है कि जब मूल प्रकरण ही फैसल हो गया तो उसके पश्चात् यह निगरानी पोषणीय नहीं है और उस निर्णय के विरूद्ध अपील भी कर दी गयी है। अतः इसी स्तर पर निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह स्वीकार किया है कि धारा 144सीपीसी के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश हो चुकी है। अर्थात् मूल प्रकरण धारा 144सीपीसी का निस्तारण हो चुका है। जब मूल प्रकरण ही निस्तारित हो चुका है तो उस प्रकरण में दिये गये किसी भी आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है और सारहीन हो चुकी है। अतः इसी स्तर पर उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य